

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरजगढ़ से बाद जांच रिपोर्ट प्राप्त हुआ है। दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार सूरजगढ़ की जांच रिपोर्ट के मुताबिक राजस्व ग्राम लीखवा के ख.नं. 23, 26, 418, व 716/22 में प्रार्थी का नाम जुगलाल पुत्र श्योकरण हिस्सा 1/5 दर्ज रिकॉर्ड है जबकि प्रार्थी के दस्तावेजात यथा, आधारकार्ड, पैनकार्ड व मतदाता पहचान पत्र में जगराम पुत्र श्योकरण दर्ज है। जिसे दुरुस्त किये जाने की अभिशंषा की गई है।

तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम लीखवा के ख.नं. 23, 26, 418, व 716/22 में प्रार्थी का नाम जुगलाल पुत्र श्योकरण के बजाय जगराम पुत्र श्योकरण दुरुस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार सूरजगढ़ उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्ती की कार्यवाही करें। तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

